

Auth_officer_to_collect_notices Notice

[see Sub-rule (2) of Rule 2 Of Payment Of Gratuity (central) Rules, 1972]

Please take notice that the branch manager designate of Kotak Mahindra Bank Limited, at _____, is authorised to receive on behalf of Kotak Mahindra Bank Limited all notices issued under the payment of gratuity act, 1972 or the rules framed thereunder for our branch at _____

General Notice

Further, The Above Mentioned Branch Manager At _____ is also authorised to maintain any or all registers, furnish and receive forms and information called for by any or all statutory and or regulatory authorities and also receive any or all notices from any or all statutory and regulatory authorities, for and on behalf of Kotak Mahindra Bank Limited _____ under any or all applicable statutes, laws, rules notifications and regulations from time to time.

Date:

for Kotak Mahindra Bank Limited



Raosaheb Kangane
Head Employee Relations

सूचनाएँ - लेने - के लिए अधिकृत अधिकारी सूचना

(अनुग्रह (केंद्रीय) के भुगतान के नियम, 1972 के नियम 2 का उप-नियम 2 देखें)

कृपया सूचना पाएँ कि _____ पर कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड का नियुक्त शाखा प्रबंधक अनुग्रह भुगतान अधिनियम, 1972 या हमारी शाखा _____ के लिए उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड की ओर से जारी सूचनाओं को पाने के लिए अधिकृत है.

आम सूचना

साथ ही, पूर्वोद्धिखित _____ का शाखा प्रबंधक समय समय पर जारी होने वाले किसी या सभी कानूनों, विधियों, नियमों, अधिसूचनाओं और विनियमों के अंतर्गत किसी या सभी वैधानिक और या नियामक अधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले प्रपत्रों और जानकारी और साथ ही किसी या सभी वैधानिक और नियामक अधिकारियों द्वारा भेजी जाने वाली सूचनाओं को कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड _____ की ओर से पाने, देने और उनके लिए कोई या सभी रजिस्टर बनाने के लिए अधिकृत है.

दिनांक :

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड की ओर से



रावसाहेब कंगने
हेड एम्प्लॉय रिलेशन्स